(c) whether any records are kept of the censored portions of programmes, if not, the reasons therefor if so^ is there any system of review to determine whether these decisions were justified or arbitrary;

(d) whether any written reasons are given to private producers for the changes/cuts' demanded in current affairs programmes produced by them; if not. the reasons therefor;

(e) whether there is any prescribed procedure for review of the cuts/changes that are made in programmes; if not, how are officials rendered accountable for their decisions; if so, what are the these procedures; and

(f) whether there is any procedore for appeal against the arbitrary decisions of the officials on alterations and cuts to current affairs programmes by private producers; if so, the details thereof, if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. UPENDRA): (a) to (f) There is no censorship of Current Affairs programmes produced by outside producers for Doordarshan. If the programme, however demands some modifications to ensure that its basic objectives is met with necessary changes are suggested *to* the producer orally and sometime in writing and these are carried out by mutual consultations. The producer is, however, free to present his point of view with regard to suggestions made and the same are considered, on merit.

कश्मीर आतंकवादियों के साथ ईरान के संबंधों पर सी आई ए की रिपोर्ट

3269. कुमारी सरोज खापर्डे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 अगस्त, 1990 के नागपुर से प्रकाशित होने वाले दैनिक "लोकमत" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है जिसमें अमरीकी सीनेटर मि० अलान क्रास्टन को उद्धृत करते हुए यह कहा गया है कि पाकिस्तान में कार्यरत सी०आई०ए० सूत्रों के अनुसार कश्मीरी आतंकवादियों के ईरान के साथ संबंध हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय से राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं। तथापि, सरकार को यह जानकारी नहीं है कि सीनेटर ने यह वक्तव्य किस आधार पर दिया है ?

मध्य प्रदेश में सड़कों के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति

3270. श्री अजीत जोगी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से 1984 और 1985 के वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले की तीन सड़कों (लम्बाई 250 कि० मी०, 15.00 करोड़ रुपए, तथा शहडोल जिले में एक दूसरी सड़क (लम्बाई 51.0 कि०मी० लागत 1.30 करोड़ रुपए) का निर्माण करने की वित्तीय अनुमति देने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या इन सड़कों के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो अपेक्षित स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के पी० उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) सूचना